P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य /2018 दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री किशन लाल कोली प्रधानाचार्य, सेठ बन्शीधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलाना जिला दौसा का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुरा बसेडी जिला धौलपुर किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री किशन लाल कोली द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 4067/2018 किशन लाल कोली बनाम श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.09.2018 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28.09.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी किशन लाल कोली के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में श्री किशन लाल कोली माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्याधीन सेठ बन्शीधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलाना जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे एवं श्री राधेश्याम मीणा, प्रधानाचार्य का समायोजन माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलाड़ा (Golada), बान्दीकुई जिला दौसा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/किशनलाल/अपील/4067/2018 दिनांक 19.11.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक शिक्षा) दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित संस्था प्रधान
9. संबंधित कार्मिकों/अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।

8\. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)